99

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

1– वासुदेव प्रसाद पुत्र मांगीलाल वैश्य
2– अशोक कुमार वैश्य पुत्र श्री रघवुर दयाल वैश्य
निवासीगण–विजयपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 57/1 रकवा 2.717 है0 में से रकवा 1340 वर्गमीटर आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है जो उनके पूर्वजो के नाम से राजस्व अभिलेखों में निरंतर चली आ रही है जिसपर उनके द्वारा निर्मित कमरा बना हुआ है, चूकि यह भूमि नगर परिषद विजयपुर की भूमि है जिसके संबंध में विधिवत् रूप से कार्यवाही नगर परिषद विजयपुर द्वारा की गयी है। तथा नगर पंचायत विजयपुर के अभिलेख में आवेदकगण का विधिवत् नाम इन्द्राज है तथा उनके द्वारा भवन निर्माण की विधिवत् स्वीकृति नगर पंचायत परिषद विजयपुर से ली गयी है। तथा आवेदकगण द्वारा विधिवत् रूप से भवन कर दिया जा रहा है।

2– यहकि, पटवारी मौजा विजयपुर द्वारा आवेदकगण की भूमि के संबंध में प्रकरण क्रमांक 2/10–11/बी–121 में एक तथाकथित रिपोर्ट दिनांक 18.10.2010 को इस आशय से प्रस्तुत की गयी। कि आवेदकगण द्वारा भूमि सर्वे नं. 57 रकवा 2.717 है0 में से आवेदकगण द्वारा दीवाल (बाउण्ड्री वॉल) का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लम्बाई करीब 40 फुट है, इसलिये आवेदकगण के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

3– यहकि, तहसीलदार विजयपुर द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक दर्ज कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं पारित आदेश दिनांक 31.12.2010 से यह आदेश पारित किया कि पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के निर्वचन से विदित् है कि भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 677/एक/2016 जिला– श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-11-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर के प्रकरण क्रमांक 04/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त विजयपुर की ओर से शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 57/1 रकवा 0.230 हैक्टेयर भूमि का बंटाकन किये जाने हेतु प्रस्ताव मय सूची खसरा दिनांक 23.06.2015 को तहसीलदार विजयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सीमांकन हेतु का प्रकरण कायम कर बंटाकन स्वीकार कर समस्त कार्यवाही एक ही दिन में समाप्त की गयी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 02.02.2016 से अधिकारिता क्षेत्र से बाहर मानकर खारिज कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।	

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि सर्वे क्रमांक 57/1 रकवा 2.717 हैक्टेयर में से रकवा 1340 वर्ग मीटर (120×130वर्गफुट) आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जो उनके पूर्वजों के नाम से नगर पंचायत के अभिलेखों में निरंतर चली आ रही है, जिस पर उनके द्वारा कमरा निर्मित है। जो नगर पंचायत के सामने है। नगर पंचायत विजयपुर के अभिलेख में आवेदकगण का नाम विधिवत इन्द्राज है तथा उनके द्वारा इसी भूमि पर भवन निर्माण की विधिवत अनुमति नगर पंचायत परिषद् विजयपुर से ली गयी है। पटवारी मौजा विजयपुर द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध दी गयी तथाकथित रिपोर्ट के आधार तहसीलदार विजयपुर द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आदेश दिनांक 31.12.2010 पारित किया है। जिसका अधिकार मुख्य नगर पालिका को है, ऐसी स्थिति में समस्त कार्यवाही अधिकारितारहित होने से निरस्त की जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में समस्त कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर एवं तहसीलदार विजयपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किये गये है। वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया कि आवेदकगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना जो

आदेश पारित किये गये है, वह विधिवत नहीं है। क्योंकि तहसीलदार विजयपुर के समक्ष कार्यवाही राजस्व निरीक्षक वृत्त, विजयपुर द्वारा प्रस्तुत बंटाकन प्रस्ताव के आधार पर की गयी है। जबकि संहिता की धारा 73 में नक्शें में बटांकन की कार्यवाही किये जाने का अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं था। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश अधिकारितारहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिलेख के अनुसार भूमि नगर पालिका के अभिलेख में वार्ड नं.12 भवन नं.14 पर आवेदकगण के नाम इन्द्राज है, जिसका वर्तमान समय तक सम्पूर्ण टैक्स आवेदक द्वारा दिया जा रहा है। जिस पर उनका 50 वर्ष से कमरा बना हुआ है, जिसकी विधिवत अनुमति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, विजयपुर जिला (श्योपुर) द्वारा दिनांक 24.09.2010 को दी गयी थी। इस प्रकार उपरोक्त स्थिति को नजरअदांज कर तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है। उसके विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिकारिता क्षेत्र से बाहर मानकर अपील को निरस्त किया है। जबकि तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने तथा श्रवणाधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है क्योंकि संहिता की धारा 44 में स्पष्ट उल्लेख है कि अपील तथा अपील प्राधिकारी – (1) उस स्थिति को छोड़कर जहॉ अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता के अधीन या इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित प्रत्येक मूल आदेश की अपील –

(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है, चाहे आदेश पारित करने–वाले अधिकारी में कलेक्टर की शक्तियॉ विनिहित हों

या नहीं – उपखंड अधिकारी की होगी। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग किये बिना जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 एवं तहसीलदार विजयपुर प्रकरण क्रमांक 5/2014–15 में की गयी बंटाकन की कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 23.06.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है।

सदस्य